

(ख) जिला परिषद के जाकबगले का जीपीडिएर एवं रखरखाव की रखाणा।

(घ) जिला परिषदों के उपयुक्त एवं जिला परिषद का समाकष एवं आर्डिंटेड सेटर वार्षिक रखरखाव (पंचायत समिति के अनुमान के उपरान्त)।

(ग) प्रखंड स्तर पर प्रखंड परिषदों में अवस्थित सरकारी भवनों का जीपीडिएर एवं या इंटरलॉकिंग टाइल्स सड़क।

(ङ) बसों में PCC एवं/इंटरलॉकिंग टाइल्स एवं एवं जिला निर्माण।

यदि राशि बत जाती है तो उससे निम्नवत अन्य कार्य भी लिए जा सकते हैं -
(ii) दीनों स्तरों पर भूमिगत आँगनबाड़ी केन्द्र भवनों का निर्माण कार्य क्षेत्रों के उपरान्त भूमि उपलब्ध हो गयी है, उनका निर्माण कार्य अनिवार्यतः लेनी।

जमीन उपलब्ध हो। तदनुसार दीनों स्तर की पंचायती राज संस्थाएँ, जिन आँगनबाड़ी केन्द्रों के लिए भवन निर्माण सर्वोच्च प्राथमिकता में लिया जाना है, वहाँ आँगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण के लिए (i) तेरहवें वित्त आयोग की राशि से पंचायती राज संस्थाओं द्वारा आँगनबाड़ी केन्द्रों का

दिनांक 24.01.2014 द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिया गया है -
जिन राज्यों में आँगनबाड़ी केन्द्रों का भवन निर्माण कार्य तेरहवें वित्त आयोग की राशि से अत्यवहल राशि में से अत्यवहल राशि में से प्राप्त पंचायत राज संस्थाओं की स्वीकृत राशि में से अत्यवहल राशि एवं 2014-15 तक इन भवनों में प्राप्त उपयुक्त विवरण कहना है कि तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य की

भारत, विवरण के संबंध में।
तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वीकृत राशि में से अत्यवहल राशि के पटना, दिनांक 03-02-2014।

सभी उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यालयक पदाधिकारी, जिला परिषद।

पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

अपत गाल भोग, प्रमाण सहीव

पक्ष

पंचायती राज विभाग

बिहार सरकार

126/03-02-14

03/08/14
03/08/14

03/08/14

